

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2271]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2011/अग्राहायण 10, 1933

No. 2271]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2011/AGRAHAYANA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2011

आय-कर

का.आ. 2724(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2011 है

(2) ये 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 40ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध"

40खक. अकाउंटेंट की रिपोर्ट जिसका धारा 115जग की उप-धारा (3) के अधीन नियंत्रिती द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, प्ररूप सं. 29ग में होगी।"

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 29ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप सं० 29ग
[नियम 40खक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जग के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना करने के लिए रिपोर्ट

1. मैंने/हमने* 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर के परिनिर्धारण के लिए (कारबार की प्रकृति) के कारबार में लगे हुए (स्थायी लेखा संख्यांक के साथ निर्धारिती का नाम और पता) के लेखे और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है।
2. (क) मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के उपबंधों के अनुसार की गई है। निर्धारण वर्ष..... की बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन संदेय कर..... रुपये है, जिसे इस प्ररूप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर अवधारित किया गया है।
3. मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सही और ठीक हैं।

तारीख

हस्ताक्षरित

अकाउंटेंट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है।
 - (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ; या
 - (ii) कोई व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर किसी राज्य के संबंध में उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।
3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक या सापेक्ष रूप में दिया जाता है, वहां रिपोर्ट में इसके कारणों का कथन किया जाएगा।

उपाबंध क
[पैरा 2 देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115अग के प्रयोजनों के लिए की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना से संबंधित ब्यौरे

1.	निर्धारिती का नाम													
2.	निर्धारिती का पता													
3.	स्थायी लेखा संख्यांक													
4.	निर्धारण वर्ष													
5.	आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक को प्रमावी करने से पूर्व आय-कर अधिनियम अधिकथित रीति में संगणित निर्धारिती की कुल आय ।													
6.	ऊपर स्तंभ 5 में निर्दिष्ट कुल आय पर संदेय आय-कर ।													
7.	शीर्ष "ग" के अधीन अध्याय 6-क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियाँ"	<table> <tr> <th>क्रम सं०</th><th>धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया</th><th>दावा की गई कटौती की रकम</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	क्रम सं०	धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया	दावा की गई कटौती की रकम									
क्रम सं०	धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया	दावा की गई कटौती की रकम												
8.	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती की रकम ।													
9.	निर्धारिती की समायोजित कुल आय (5 + 7 + 8)													
10.	वैकल्पिक न्यूनतम कर (ऊपर स्तंभ 9 में संगणित समायोजित कुल आय का 18.5 %)													

[अधिसूचना सं. 60/2011/फा. सं. 133/70/2011-एसओ (टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2429(अ) तारीख 24-10-2011 द्वारा किया गया ।